<u>महत्वपूर्ण</u>
<u>संख्या-I/1307353/2026/नौ-6-2026-ई-1894261</u>

प्रेषक,
रवीन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>नगर विकास अनुभाग-6</u> **<u>लखनऊ:23-04-2026</u>**

विषय- नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाओं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजनाCM-VNY) के अन्तर्गत नगर पंचायत-अमिला, जनपद-मऊ में बारात घर का निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ कापत्र संख्या-तक0सेल/1789/यू0सी0/2025-26, दिनांक 18.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाओं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत नगर पंचायत-अमिला, जनपद-मऊ में बारात घर का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217808001800 के अन्तर्गत नगर पंचायत-अमिला, जनपद-मऊ में बारात घर का निर्माण कार्य की परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि **रू0 169.67 लाख (रू0 एक करोड़ उनहत्तर लाख सड़सठ हजार)** निम्नलिखित तालिकानुसार एवं उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	निकाय का नाम/ कार्य का नाम	कुल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (प्रशासकीय एवं अन्य मद सहित)	टेण्डर की धनराशि	प्रथम किश्त में प्रदान की गयी धनराशि	द्वितीय किश्त की धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**8**
1	नगर पंचायत-अमिला, जनपद-मऊ में बारात घर का निर्माण कार्य	353.50	346.42	176.75	169.67
	योग				**169.67**

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध:-</u>

1. स्वीकृत/निर्गत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा वित्तीय नियमों के अनुसार

सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

2. निर्गत धनराशि शासनादेश संख्या-1013/नौ-6-2025-01न0यो0/2024, दिनांक 29.05.2025 द्वारा निर्गत नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (CM-VNY) की गाईडलाईन्स/दिशा-निर्देश में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकाय द्वारा व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत चयनित परियोजनाओं का निर्माण कार्य योजना के दिशा-निर्देश एवं पत्र संख्या-2668(1)/नौ-6-2024, दिनांक 23.12.2024 एवं पत्र संख्या-1385/नौ-6-2024, दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से निर्गत विशिष्टियों (Specifications) के अनुसार कराया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क-ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही सम्बन्धित निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

4. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि, नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

6. कार्यों की मात्राओं को, निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

8. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

11. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अत: निकाय/कार्यदायी संस्था अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

12. बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अनुपालन का दायित्व निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

13. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India,

2021" में दिये गये प्राविधान के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें।

14. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यमदें, जो कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित हैं, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

15. यदि कार्य पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर कराया जाता है, तो ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। कार्यदायी संस्था/निकाय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पर्याप्त संख्या में सक्षम तकनीकी मैन पॉवर तैनात की जाये।

17. प्रायोजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्ति के संचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में ऐसी औचित्यपूर्ण व स्वपोषी कार्ययोजना सक्षम स्तर के अनुमोदन से बनाये जाने पर विचार किया जाये, जिससे उक्त प्रायोजना को चलाने हेतु आवर्ती व्यय प्राप्त हो सके।

18. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर योजना का नाम, कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

19. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

20. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

21. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

22. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

23. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा बहुउद्देशीय काम्पलेक्स के निर्माण का औचित्य एवं संचालन/रख-रखाव इत्यादि पी0पी0पी0 मोड पर कराये जाना सुनिश्चित करें।

24. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया

जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

25. निर्गत की जा रही धनराशि तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय/कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये।

26. इस सम्बन्ध में निर्गत की जा रही धनराशि से निकाय द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1013/नौ-6-2025-01न0यो0/2024, दिनांक 29.05.2025 में दिये गये निर्देशानुसार निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की द्वितीय, तृतीय किस्त की धनराशि प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तावों में नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1145/नौ-8-2021 दिनांक-09.06.2021 की शर्तों/उपबन्धों एवं अन्य सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

27. सम्बन्धित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

28. प्रस्तुत आगणन में सेन्टेज की धनराशि सम्मिलित है। अत: प्रशासकीय एवं अन्य मद (A& OE)की धनराशि देय नहीं है।

29. निर्गत की जा रही धनराशि का उपभोग वित्तीय वर्ष-2026-27 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा उसके पश्चात धनराशि का उपयोग नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही किया जायेगा।

30. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्ययरुपये **1,69,67,000 (रुपये एक करोड़ उनहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे**अनुदान संख्या** 0 3 7 **लेखा शीर्षक** 2217808001800 नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना) **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAVINDRA SINGH
Date: 23-04-2026
17:55:16

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-I/1307353/2026(1)/नौ-6-2026-1894261, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3. जिलाधिकारी-मऊ, उ0प्र0।
4. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत-अमिला, जनपद-मऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी कोषागार, मऊ, उ0प्र0।
8. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-09/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01/02।
13. टीम लीडर-पी0एम0यू0-सी0एम0वी0एन0वाई0,नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
रवीन्द्र सिंह
अनु सचिव।